

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021 — श्रावण 8, शक 1943

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री सरजियस मिंज, अध्यक्ष होंगे।

2. आयोग के अध्यक्ष, ऐसी तारीख, जिस पर वे पदभार ग्रहण करते हैं, से 31 जुलाई, 2023 तक पद धारण करेंगे।
3. आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद मिश्रा, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 37, दिनांक 29 जुलाई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद मिश्रा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2021

NOTIFICATION

No. 37/14/fin/FCC/Four/2021.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No.3 of 1994), as amended, the Governor of Chhattisgarh, hereby, constitutes the Fourth State Finance Commission consisting of Shri Serjius Minj as Chairman.

2. The Chairman of the Commission shall hold office from the date on which he assumes office upto 31st July, 2023.
3. The Notification in respect of the Terms of Reference of the Commission would be issued separately.
4. The Commission shall make its report available on or before 31st July, 2023 on each of the matters mentioned in the notification referred in para 3 above, covering a period of 5 (five) years commencing on the first day of April, 2025. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANAND MISHRA, Deputy Secretary.